9/9/22

पत्रावली पेश हुई। उ0पक्ष हाजिर। CRC आर्डर पेश हुआ एवं शामिल पत्रावली किया गया। वादी-मौत होने पर वादी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है। उ0पक्ष पर बहस सुनी गयी। उ0पक्ष स्वीकार किया जाकर वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर संशोधित डिक्री जारी हो प्रकरण निर्णय यथावत रहेगा।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

संशोधित डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना, आर.ए.एस

## उनवान

भरोरी पुत्र मुरली उम्र 50 साल जाति धोबी निवासी करौली जिला करौली (फौत)

1/1. राधेश्याम
1/2. मुकेश
1/3. बनवारी
1/4. नवल
1/5. विष्णु

पुत्रान स्व0 भरोरी सभी जाति धोबी निवासी करौली जिला करौली

–वादीगण

## बनाम

लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

## दावा दुरूस्ती इन्द्राजात व घोषणा खातेदारी
### मुकदमा नं. 10/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अब्दुल** हलीम खां, एडवो. मिनजानिब मुदई रूबरू .............................. मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादी प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नंबर 8597, 8599, 8600, 8601, 8618, 8619 व 8621 कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का 10 तहसील करौली का काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी वादग्रस्त आरजीयात के वादी के हक में खातेदारी इन्द्राज रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।
निज .......................................... मुबलिग ...................................... बाबत ........................................ खर्चा इस मुकदमा मय सूद निज बगरह ..................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ............... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 9/9/25............ को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)

| मुदई | रूपया | पैसे | मुददायलह | रूपया |
|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प बजह सबूत | | | महन्ताना अर्जी | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | |
| मुतफरिक | | | | |
| मीजान | | | मीजान | |

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)

नोट:–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

## पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–10/22 तारीख रजु:–28.02.2022

**उनवान**

भरोसी पुत्र मुरली उम्र 50 साल जाति धोबी निवासी करौली जिला करौली (फौत)

1/1. राधेश्याम
1/2. मुकेश
1/3. बनवारी
1/4. नवल
1/5. विष्णु

पुत्रान स्व0 भरोसी सभी जाति धोबी निवासी करौली जिला करौली

–वादीगण

**बनाम**

लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात व घोषणा खातेदारी

**–::संशोधित निर्णय::–** दिनांक:–9/9/22

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 8579, 8599, 8600, 8601, 8618, 8619, 8620, 8621 कुला किता 8 रकबा 7 बीघा 15 वाके कस्बा करौली तहसील करौली जिला करौली मुझ वादी की व मेरे पिता मुरली की खास बहन सुक्को वेवा घीस्या जाति धोबी निवासी करौली तहसील व जिला करौली की जैर खाता व कब्जे की रही है। मेरी बुआ सुक्को के पति व उसके लडके की मृत्यु हो चुकी थी उसका लडका भगवती बिना शादी के लाऔलाद मर गया ऐसी सूरत में सुक्को के जीवन यापन के लिये तथा उसकी बीमारी में इलाज कराने के लिये सहारे की आवश्यकता थी ऐसी अवस्था में मुझ वादी ने बुआ सुक्को की उसकी जिन्दगी में जीभर कर सेवा की वह मुझ वादी के साथ ही रहती हुई मौत हुई तथा मैने ही उसकी बीमारी में उसका इलाज कराया उसकी रोटी दी तथा उसकी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

हर प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति की तथा उसके जीवन में उसके साथ रहकर दर्ज दावा मजकूर वाला आराजीयात को वादी काश्त करता रहा। दिनांक 5.3.02 को सुक्को फौत हो गई उसकी फौती पर मैंने ही उसका दाह संस्कार किया बारह ब्राहम्ण किये उसे गंगाजी लेकर गया तथा समाज की रीति रिवाज के मुताबिक पगडी भी मुझ वादी के ही बधी मुसम्मात सुक्का ने अपने जीवनकाल में दिनाक 25.5.98 को एक वसीयतनामा 10/– रूपये के दो किता नॉन ज्यूडीशल स्टाम्प पर मुझ वादी के हक में रूबरू गवाहान लिखा तथा नोटेरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित होकर स्वंय का मेरा फोटो लगवाकर वसीयतनाम में को नोटेरी पब्लिक करौली के यहां अटेस्टेड कराया। सुक्कों के मरने के वादी उसकी सामाजिक व धार्मिक रस्म मुझ वादी द्वारा अन्जूम दी गई तथा उसके जीवन काल से ही आराजीयात दर्ज दावा पर में वादी लगातार काबिज व दखील हूं दीगर किसी का इन आराजीयात के साथ कोई संबंध ताल्लुक नहीं है। सुक्को की फौती के बाद से लगातार पटवारी व तहसील के चक्कर काट रहा हूं मुझे आज कल–आज कल कहकर टाला जा रहा है। दिनांक 25.6.09 को वादी तहसील करौली अंतिम बार गया तथा रेवेन्यू अधिकारियों व पटवारी इत्यादि से मिला तो उन्होंने यह कहा कि अदालत में दावा कर उसके वगैर हम तेरे नाम नामान्तरण नहीं भरेंगे ऐसी सूरत में वादी को दावा हाजा पेश करना लाजिम हुआ व रूपये वसीयत वादी ही सुक्को द्वारा छोडी गयी चल व अचल संपत्ति का मालिक काबिज हूं तथा विवादित आराजीयात को अपने नाम घोषणा कराते हुये सुक्को के स्थान पर वादी स्वंय के नाम के इन्द्राजात बतौर खातेदार जमाबंदी में दर्ज कराने का मुस्तहिक हूं। अतः में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होने के वाद कोई जाबवदावा प्रस्तुत नहीं करने पर जबावदावा प्रतिवादी बंद किया गया।

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वंय का बयान लेखबद्व कराया है एवं गवाह नेमीचंद गर्ग व श्यामबाबू के बयान लेखबद्व किये गये। दस्तावेजी सबूत में कोई दस्तावेज पेश नही किये। साक्ष्यवादी समाप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बहस वकील वादी सुनी गयी। वादी वकील का बहस में कथन है। कि वादग्रस्त आराजी में वादी व उसके पिता मुरली की खास बहन सुक्को के खातेदारी व कब्जेकाश्त की रही है। सुक्को की सेवा वादी द्वारा करने पर दिनांक 25.05.1998 को खातेदार सुक्को द्वारा वादी के हक में वसीयतनामा 100/–रूपये के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कराकर एवं नोटरी पब्लिक नेमीचंद गर्ग से अनुप्रमाणित कराकर वादी को सुपुर्द किया गया है। सुक्को का स्वर्गवास हो चुका है। वादी भूमि पर बतौर वसीयत वारिस काबिज है। वादी सुक्को का वारिस होने से अपने हक में भूमि की खातेदारी कराने का अधिकारी है। वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य से वसीयतनामा दिनांक 25.05.1998 को साबित किया है। वसीयत का पंजीयन अधिनियम में पंजीयन आवश्यक नहीं है। सुक्को की मृत्यु दिनांक 5.3.2002 को हो चुकी है। वादी भूमि पर काबिज है। वादी अपने हक में मुताबिक वसीयतनामा प्रदर्श–2 के द्वारा भूमि की खातेदारी घोषणा कराने का हकदार है। दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने दावा के साथ नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 व वसीतनामा प्रदर्श–2 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक सुक्को प्रदर्श–3 दिनांक 23.07.2009 पेश किया है। जिनसे भूमि सुक्को के खातेदारी की होना एवं भूमि पर मुताबिक वसीयतनाम प्रदर्श–2 वादी का कब्जा होना एवं वादी का मृतक सुक्को का वसीयती वारिस होना प्रकट होता है। प्रतिवादी द्वारा इस बाबत कोई खण्डन दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। दावा वादी मुताबिक वसीयतनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नंबर 8597, 8599, 8600, 8601, 8618, 8619, 8620, 8621 कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का 10 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी वादग्रस्त आरजीयात के वादी के हक में खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

**निर्णय आज दिनांक 9/9/14 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली